बड़ी परियोजनाओं पर भी रकम खर्च करेंगे विभाग

लखनऊ। केंद्र और प्रदेश सरकार के स्तर पर चयनित स्मार्ट सिटी की 50 करोड़ से अधिक लागत वाली बड़ी परियोजनाओं पर अब उन विभागों को 50 प्रतिशत राशि खर्च करनी पड़ेगी, जिनसे यह परियोजनाएं संबंधित होंगी। इससे रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी), सड़क, बिजली और पुल जैसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आड़े आ रही धन की कमी दूर हो सकेगी। इस मुद्दे पर उच्चस्तरीय बैठक में सहमति बनने के बाद नगर विकास विभाग ने संबंधित शहरों के स्मार्ट सिटी मिशन अफसरों को निर्देश भेज दिया है।

केंद्र सरकार ने लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, बरेली अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर और मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी के लिए चुना हैं। प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, गाजियाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद व गोरखपुर को स्मर्ट सिटी में शामिल किया है। इस प्रकार प्रदेश में सभी नगर निगम वाले 17 शहरों का विकास स्मार्ट सिटी के रूप में किया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी

50 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए फॉर्मूला तय

झांसी व बरेली में हिस्सेदारी तय : झांसी और बरेली में बनने वाले आरओबी में हिस्सेदारी तय की जा चुकी है। अन्य शहरों में भी यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। नगर विकास विभाग का मानना है कि एक ही काम पर दो विभागों का पैसा खर्च नहीं होगा और स्मार्ट सिटी का जो पैसा बचेगा उसे अन्य दूसरे कामों में लगाया जा सकेगा।

नई व्यवस्था के मुताबिक इन शहरों की बड़ी परियोजनाओं पर संबंधित विभाग को भी आधी रकम देने के संबंध में नगर विकास विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार यादव ने निर्देश दिए हैं। इसमें कहा कि ऐसी तमाम बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं जिनके शासकीय विभागों पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, सिंचाई या अन्य राजकीय विभाग हैं। ऐसे में इन कार्यों पर पैतृक विभागों के अलावा स्मार्ट मिशन का पैसा भी खर्च होने की संभावना रहती है। अब लागत की आधी राशि परियोजना से संबंधित विभाग और आधी स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा खर्च की जाएगी। ब्यूरो